(18)

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

।जेला.............मधुबनी........................संख्या–................ 06........................सन् 2013–14

केश का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–सरकार प्रतिपक्षीः– रामप्रीत राम (मृत) मुसमात संगीता देवी वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	अर्जीकारः– अंचल अधिकारी, रहिका। प्रतिपक्षीः– रामप्रीत राम(मृत) पत्नी मु0संगीता देवी वो राम बाबू राम वो श्याम राम वो मनोज राम वो शिबू राम पेसरान–बिल्टू राम साकिन– सुरतगंज, मधुबनी। सरकार की ओर से विज्ञ अधिवक्ताः– श्री अनिल कुमार ठाकुर, ए0जी0पी0 प्रतिपक्षी की ओर से विज्ञ अधिवक्ताः– श्री शम्भू कुमार भगत, श्री मनोज कुमार मंडल	
01. 09. 18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा संधारित जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–04/2012–13 के आधार पर प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। **<u>अंचल अधिकारी द्वारा प्रेषित अभिलेख में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार अंकित किया गया हैः–</u>** **<u>सी0एस0खतियान का विवरणः–</u>** मौजा–चकदह, खाता–288, खेसरा–113,किस्म–गड़हा, रकवा–1–3–17 नवैयत–गै0म0आम उपरोक्त वर्णित खेसरा में से सैरात पंजी के अनुसार 1–0–17 धूर सैरात पंजी में दर्ज है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी के न्यायालय जमाबंदी सुधार वाद संख्या–1/11–12 में पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी नं. 6172 रामप्रीत राम, राम बाबु राम, श्याम राम वो मनोज राम वो शिबू राम पे0 बिल्टू राम के नाम से कायम कर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी द्वारा भू–लगान रसीद निर्गत किया जा चुका है। जिस जमाबंदी में कुल रकवा 3–2–12½ में खेसरा संख्या–113 का सन्निहित रकवा 1–0–17 धूर सैरात पंजी में दर्ज है। प्रतिवेदित किया गया है कि **जमाबंदी नं0 6172 रकवा 3–2–12½ में से सैरात की कुल भूमि 1–0–17 धूर को रद्द करने की अनुशंसा किया गया।** **<u>प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत पक्षः–</u>** प्रतिपक्षी के रूप में श्री राम बाबू राम पे0 स्व0 बिल्टू सा0 मधुबनी वार्ड नं. 08 नगर परिषद, मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी की गयी एवं प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसका मुख्य अंश है कि **विवादित खेसरा से संबंधित हकीयत मोकदमा 4/92 प्रथम मुंसिफ के न्यायालय में लंबित है** इसलिए वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद संख्या–1/2011–12 सरकार–बनाम–रामप्रीत राम वगैरह में 07.02.2012 को प्रतिपक्षी के पक्ष में आदेश हुआ। विपक्षी का जमाबंदी संख्या–14/61 विपक्षी की मॉ संध्या देवी के नाम से बहुत लम्बे समय से है, जिसका मालगुजारी अदा करते आ रहे हैं। इधर जमाबंदी संख्या–14/61 खारिज होकर जमाबंदी संख्या–6172 कायम हुआ। विवादित खेसरा रैयती है जिससे कभी भी बिहार सरकार को सरोकार नहीं है। अगर किसी बदनीयतीपूर्ण सैरात पंजी में दर्ज दिखाया जा रहा है जो उसका फायदा बिहार सरकार को नहीं है। पुराना खाता नं. 288 पुराना खेसरा नं. 113 रकवा 1 बीघा 3 कट्ठा 17 धूर गैर मजरूआ आम गड़हा मालिक राज दरभंगा है। कालान्तर में कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा नं. 113 का नेचर परिवर्तित हो गया वो मेही मेहतर पेसर स्व0 मंगल मेहतर निवासी मौजे चकदह मधुबनी पुराना खेसरा नं. 113 रकवा 1 बीघा 3 कट्ठा 17 धूर में से रकवा 13 कट्ठा 11 धूर जिसकी चौहद्दी उत्तर– गड़हा, दक्षिण–खड़हौर राज, पूरब डोमू मेहतर, पश्चिम जयनारायण राम अपने उपयोग उपभोग में ले आये वो मेही मेहतर का दखल कब्जा देखकर भूतपूर्व जमींदार ने 1915 में वग़िरफ्त नजराना लेकर मेही मेहतर के नाम	फि0ता0–45/R 11/X/18

(19)

से बंदोवस्त कर दिया जिस पर वे दखलकार रहते आये। बंदोवस्तदार ने केवाला के माध्यम से डोमू मेहतर पूर्वज इन्टरभेनर को दखल दे दिया। शेष रकवा 10 कट्ठा 6 धूर डोमू मेहतर ने वर्ष 1925 में अपने उपयोग में ले आये। डोमू मेहतर ने खेसरा नं. 113 रकवा 1 बीघा 3 कट्ठा 17 धूर सहित दिगर एराजीयात वर्ष 1942 ई0 में राज दरभंगा को सरेण्डर कर दिया। तत्पश्चात् संध्या देवी मादर फिदवी विपक्षी ने अपने खास स्त्री धन से वर्ष 1943 में भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा से खेसरा नं. 113 की कुल रकवा की बंदोवस्ती प्राप्त की जिसपर उनका स्वत्व के साथ दखल कब्जा है बिहार सरकार को कोई सरोकार नहीं है। खेसरा संख्या–113 के अंश रकवा के निसवत व अदालत प्रथम मुंसिफ मधुबनी के न्यायालय में मोकदमा चल रहा है जिसमें बिहार सरकार पक्षकार है। विपक्षी अनुसूचित जाति (मेहतर) हैं पढ़ा लिखा नहीं रहने के कारण आर्थिक वो सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं दखली जमीन को हड़पने की नीयत से बार–बार दवंग लोग द्वारा मुकदमा कर तंग–तबाह किया जा रहा है। हकीयत मुकदमा संख्या–91/92 भी चला था जिसमें मुदैई ने विपक्षी का दावा सही देखकर मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, वाद खारिज हो गया। **हकीयत मुकदमा 51/2010 भी चला जिसमें सुलह के आधार पर विपक्षी के पक्ष में फैसला हुआ।** इस प्रकार सक्षम न्यायालय से भी विपक्षी के पक्ष में फैसला हुआ। जमाबंदी सुधार वाद संख्या–1/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी ने अंचल अधिकारी, रहिका से प्रतिवेदन मांगा। अंचल अधिकारी, रहिका ने पत्रांक–2101 दिनांक–24.02.2011 से प्रतिवेदन समर्पित किया जिससे स्पष्ट होगा विपक्षी का घर घरारी वसोवास वो दखल कब्जा था जिसके आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी ने उक्त वाद में विपक्षी के पक्ष में आदेश देते हुये जमाबंदी सुधार हुआ। अतः वास्ते न्याय वो इन्साफ वाद खारिज किया जाय।

प्रतिपक्षी ने साक्ष्य के रूप में निम्नांकित साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया:–

1– फोटो कॉपी आदेशफलक दिनांक–05.08.10 हकीयत मुकदमा नं. 51/2010 राम बाबू राम–बनाम–मो0वीणा प्रधान–.....4 फर्द।
2– फोटो कॉपी वाद संख्या 137/09 रामप्रीत राम–बनाम– विद्यापति सहकारी गृह निर्माण मधुबनी दि. 4.5.12.....2 फर्द।
3– फोटो कॉपी वाद सं. 143/09 रामप्रीत राम वगैरह–बनाम– सम्पत्तिया देवी आदेश दिनांक–4.5.12.....2 फर्द।
4– फोटो कॉपी आर0सी0केश नं0 623/53–54 संध्या देवी.....1 फर्द।
5– फोटो कॉपी रसीद जमींदारी राज दरभंगा 19051–52 संध्या देवी.....1 फर्द।
6– फोटो कॉपी राजदरभंगा रसीद डोमा मेहतर वो मेही मेहतर.....2 फर्द।

प्रतिपक्षी की ओर से लिखित आवेदन दिया कि मुख्य प्रतिपक्षी रामप्रीत राम का देहान्त हो गया ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को पक्षकार बनाया जाय। संगीता देवी पत्नी स्व0रामप्रीत राम को नोटिस देकर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। संगीता देवी पति स्व0रामप्रीत राम ने शपथ पत्र के साथ लिखित पक्ष दिया कि विपक्षी के पति रामप्रीत राम ने दिनांक–07.08.2013 को उपरोक्त मुकदमा में लिखित पक्ष दाखिल किया जिसके पारा–1 से पारा–21 तक कुल कथन को विपक्षी एडोप्ट करती हैं। वास्ते न्याय इस वाद को खारिज किया जाय।

प्रतिपक्षी का लिखित बहस का मुख्य अंश:–

प्रतिपक्षी ने अपने प्रत्युत्तर की अधिकांश बातों को दोहराया है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहिका के प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद प्रारम्भ हुआ और उसी अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी सुधार वाद संख्या–1/2011–12 में विपक्षी का रैयती वो घर–घरारी जाहिर किये हैं एवं प्रतिपक्षी के पक्ष में आदेश पारित हुआ। जब सक्षम न्यायालय में मुकदमा लंबित है वैसी स्थिति में यह बाद भी मेन्टेनेबुल नहीं है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना का भी फैसला है। 2002 (3) पी0एल0जे0आर0पेज नं. 284 है। वास्ते न्याय इन्ससाफ वाद खाारिज योग्य है।

लिखित बहस के साथ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत साक्ष्यों की छाया प्रतिः–

1–पुराना खतियान खाता 288 खेसरा 133..1 फर्द
2–दिनांक 17.6.1923 केवाला ....3 फर्द
3–नया सर्वे केश नं. 163 / 09, 137 / 09 ....4 फर्द
4–संध्या देवी के नाम से एल0पी0सी0की ....1 फर्द
5–नगरपालिका होल्डिंग टैक्स..4 फर्द
6–मुंसिफ प्रथम केस नं. 911 / 1945...2 फर्द
7–संध्या देवी के नाम अभिधारी खाता पुस्तिका....................................3 फर्द
8– संध्या देवी के नाम मालगुजारी रसीद ....3 फर्द
9– रामप्रीत राम के नाम मालगुजारी रसीद..1 फर्द
10–भू0सु0उप समाहर्ता, वाद संख्या–1 / 11–12..................................4 फर्द
11– अंचल अधिकारी का रिपोर्ट...8 फर्द
12– 1967–68 लगामी लोन लिया गया...4 फर्द
13– प्रथम मुंसिफ टी0एस04 / 92...22फर्द
14– अंचल अधिकारी का रिपोर्ट दिनांक–2.3.17.....................................2 फर्द
15– लिखित बहस दिनांक–8.3.17...8 फर्द

समाहर्ता महोदय के न्यायालय में अधिग्रहण अपील वाद संख्या–32 / 2013–14 राम बाबु राम उर्फ राम बाबु पेसर स्व0 बिलटु राम निवासी मुहल्ला सुरतगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, रहिका ने पत्रांक–2633 दिनांक–02.03.2017 द्वारा प्रभारी उप समाहर्ता, जिला विधि मधुबनी को प्रतिवेदन समर्पित किया जिसकी छाया प्रति साक्ष्य के रूप में प्रतिपक्षी ने प्रस्तुत करते हुये प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा किया।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का मंतव्यः–

विपक्षी के प्रत्युत्तर पर विज्ञ सहायक सरकारी अधिवक्ता ने अपना मंतव्य दिया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रतिवेदन, जिसके आधार पर वाद प्रारम्भ किया गया है, वह सही एवं सत्य है। अगर अंचल अमला को गलत तरीके से मेल वो दाम में लाकर जमाबंदी कायम करवा लिया हो तो वह गलत है। प्रश्नगत जमीन की रक्षा करना सरकार की नैतिक वो कानूनी जिम्मेवारी है। संदेहात्मक जमाबंदी को खारिज किया जाय।

निष्कर्षः–

प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय जमाबंदी सुधार वाद संख्या–1 / 2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी द्वारा पारित आदेश के नकल की छाया प्रति संलग्न किया। प्रतिपक्षी ने दावा किया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अंचल अधिकारी, रहिका से प्रतिवेदन मांगा। अंचल अधिकारी, रहिका के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि विपक्षी का घर घरारी वसोवास वो दखल कब्जा था जिसके आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी ने उक्त वाद में विपक्षी के पक्ष में जमाबंदी सुधार का आदेश दिया।

किन्तु अंचल के हल्का कर्मचारी हल्का संख्या–03 अंचल–रहिका ने सैरात पंजी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया है जिसके अनुसार थाना नं. 33 खाता–288 खेसरा–113 रकवा 1–0–17 सैरात–जलकर गड़हा अंकित है। किसी भी स्तर से यह प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि प्रश्नगत सैरात सक्षम प्राधिकार से विलोपित हो गया है।

अंचल अधिकारी, रहिका ने भी बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद प्रारम्भ करते हुये मौजा–चकदह, खाता–288, खेसरा–113,किस्म–गड़हा, रकवा–1–3–17 नवैयत–गै0म0आम उपरोक्त वर्णित खेसरा में से सैरात पंजी के अनुसार 1–0–17 धूर, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया गया।

प्रतिपक्षी की ओर से प्रथम मुंसिफ टी0एस04 / 92 के अंतर्गत वाद विचाराधीन लंबित होने की बात बतायी गयी। किन्तु माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से

संबंधित कोई इंजक्शन (रोक) के संबंध में इस न्यायालय को प्रतिपक्षी अथवा अंचल स्तर से कोई सूचना नहीं दी गयी है।

जमाबंदी रद्दीकरण के मामले में किसी प्रकार के निर्णय लेने से पूर्व जॉच एवं पूर्ण तहकीकात की आवश्यकता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी ने अपने न्यायालय के उपरोक्त जमाबंदी सुधार वाद में सैरात के बिन्दु पर कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। अतएव सारी स्थिति को मद्येनजर रखते हुये इस वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्यों की तहकीकात करने, स्थल निरीक्षण करते हुये उचित निर्णय लेने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

01.9.18

लेखापित

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

01.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।